

[To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the , 2012]

Government of India  
Ministry of Steel

ORDER

New Delhi the 17<sup>th</sup> October, 2012

S. O. (E). – In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012 of the Government of India, Ministry of Steel, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 415(E), dated 12<sup>th</sup> March, 2012, namely :-

1. (1) This order may be called The Steel and Steel Products (Quality Control) Second (Second Amendment) Order, 2012.
- (2) Save as otherwise provided, this order shall come into force from the date of publication of this order in the official Gazette.
2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, in the Schedule, in column (4), -
  - (i) against serial number 6, for the entries, the following shall be substituted, namely :-

Date of coming into force of the product in the standard to the extent given below	
(A) Product	(B) With effect from
(a) Cold Rolled Non-Oriented (CRNO) electrical steel sheets and strips with Watt loss not exceeding by 5.3 Watt/Kg (at 1.5 Tesla/50 Hz)	31 <sup>st</sup> March, 2013;
(b) for other products excluding (a) above	12 <sup>th</sup> September, 2012. " ;

- (ii) against serial number 9, for the entries, the following shall be substituted, namely :-

Date of coming into force of the product in the standard to the extent given below	
(A) Product	(B) With effect from
(a) Flat Rolled products (sheets or strips or coils) less than 6 mm thickness;	31 <sup>st</sup> March, 2013
(b) Flat bars and rounds or squares or hexagons or octagon bars;	
(c) Plates of thickness more than 80 mm and weight more than 12 tonne in ultrasonic tested condition;	



(d) Plates of thickness less than 16 mm but width more than 4000 mm;	
(e) Universal Beam structural steel of size (depth) greater than 610 mm up to and including size 1016 mm;	
(f) Universal Column structural steel of size greater than 305 mm up to and including size 356 mm;	
(g) For other products excluding (a), (b), (c), (d), (e) and (f) above.	12 <sup>th</sup> September, 2012".



**Dr. Dalip Singh**

Joint Secretary to the Government of India

[F. NO. 1(8)/2012-TW]

Note :-- The principal Order was notified vide No. S.O. 415(E) dated the 12<sup>th</sup> March, 2012 and amended vide No. S.O. 2128(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2012.

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2012

एस.ओ. (ई) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 415 (अ), तारीख 12 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुआ था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश को इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय (द्वितीय संशोधन) आदेश 2012 कहा जाए।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 की अनुसूची के कॉलम (4) में, -

(i) प्रविष्टियों के संबंध में क्रम सं.6 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

नीचे दी गई मानक सीमा में उत्पाद के शामिल होने की तिथि	
(क) उत्पाद	(ख) निम्न तिथि से लागू
(क) 5.3 वॉट/कि.ग्रा. (1.5 ट्रेसला/50 हेटर्ज पर) से कम वॉट हानि के साथ हॉट रोलड नॉन-ओरिएन्टेड (सीआरएनओ) इलेक्ट्रिकल शीट्स तथा स्ट्रिप्स	31 मार्च, 2013;
(ख) उपरोक्त (क) को छोड़कर अन्य उत्पादों के संबंध में	12 सितम्बर, 2012.;

(ii) प्रविष्टियों के संबंध में क्रम सं. 9 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-



नीचे दी गई मानक सीमा में उत्पाद लागू होने की तिथि	
(क) उत्पाद	(ख) निम्न तिथि से लागू
(क) 6 एमएम से कम मोटाई के फ्लैट रोल्ड उत्पाद (शीट्स अथवा स्ट्रिप्स या क्वाइल्स);	31 मार्च, 2013
(ख) फ्लैट बॉर्स और राउन्ड्स या स्क्वायर्स अथवा हैक्सागन या ओक्टागन बॉर्स;	
(ग) अल्ट्रासोनिक टेस्टेड कंडिशन में 80 एमएम से अधिक मोटाई और 12 टन से अधिक वजन की प्लेट्स;	
(घ) 16 एमएम से कम मोटाई लेकिन 4000 एमएम से अधिक चौड़ाई की प्लेट्स;	
(ङ.) 610 एमएम से अधिक और 1016 एमएम तक के आकार (गहराई) की यूनिवर्सल बीम स्ट्रक्चरल स्टील;	
(च) 305 एमएम तक के आकार और 356 एमएम आकार की यूनिवर्सल कॉलम स्ट्रक्चरल स्टील।	12 सितम्बर, 2012
(छ) उपरोक्त (क), (ख), (ग), (घ), (ङ.) तथा (च) को छोड़कर अन्य उत्पादों के संबंध में।	

(डॉ. दलीप सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
(फा.सं. 1(8)/2012-टीडब्ल्यू)

नोट:- मूल आर्डर को दिनांक 12 मार्च, 2012 को सं. एस.ओ. 415 (ई) के जरिए अधिसूचित किया गया और दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को सं. एस.ओ. 2128 (ई) के जरिए संशोधित किया गया।